समाचार-प्रकाशनार्थ:-

गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर 11 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबं धत

उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

रतलाम 16 मार्च । षासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबं धत कये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

गंदगी करने व 50 माईक्रॉन की पॉलीथीन उपयोग करने पर युनूसए हुसैन लौहार रोड पर 1000.1000ए मध्यभारत मषीनरी फ्रीगंज पर 500ए बबलू दो बत्तीए गुड्डू भाई नाहरपुराए षवम् फ्रीगंज पर 250.250ए अब्दुलए वहीदए अजयए कालू पावर हाउस रोड पर 100.100 व एक अन्य पर पावर हाउस रोड पर 50 रूपये का स्पॉट फाईन भ वश्य मंे गंदगी ना करने व पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईष दी।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री वराट मेहरा के अलावा मनोज टांकए पवन झांझोटए आकाष षन्देए राकेष ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

वार्ड क्रमांक 33 व 34 को भी बनाया जीरो वेस्ट वार्ड

अब तक 12 वार्ड बन चुके है जीरो वेस्ट वार्ड

जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में नागरिकों का मल रहा भरपुर सहयोग

रतलाम 16 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के

निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 3ए 7ए 8ए 14ए 17ए 18ए 19ए 20ए 41 व 44 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ। नगर के वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत 16 मार्च मंगलवार से वार्ड क्रमांक 33 व 34 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जाकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

जीरो वेस्ट वार्ड 3ए 7ए 8ए 14ए 17ए 18ए 19ए 20ए 33ए 34ए 41 व 44 में 2.2 कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के पंहूचे वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पकर्स महिलाए आई.ई.सी. टीम के सदस्यए वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित कये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित कया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क स्व सहायता समूहों की रैग पकर्स महिलाऐं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टे[a] चंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिकए रबरए बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को वक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पकर्स महिलाओं को वार्डो में ही काम मलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लये निगम द्वारा एप्रीनए ग्लबसए मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इस लये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद कया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें क इसका भण्डारण कहां होता है व वक्रय कौन कौन करता है सही

जानकारी प्राप्त होने पर संबं धत की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन कया जाये।

चौमुखी पुल प्याऊ के पास आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर नागरिकों ने 55ए06ए144ध् संपत्तिकर व 12ए60ए235ध् जलकर जमा कराया

रतलाम 16 मार्च । नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000ध् व जलकर 6ए000ध्ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000ध् व जलकर 55ए775ध्ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विरि में संपत्तिकर 2ए38ए000ध् व जलकर 49ए010ध्ए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000ध् व जलकर 43ए670ध् ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000ध् व जलकर 29ए280ध्ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000ध् व जलकर 19ए850ध्ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000ध् व जलकर 48ए220ध्ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000ध् व जलकर 14ए000ध्ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000ध् व जलकर 86ए540ध्ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000ध् व जलकर 3ए76ए905ध्ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए82ए500ध् व जलकर 76ए470ध्ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000ध् व जलकर 47ए595ध्ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000ध् व जलकर 22ए680ध्ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644ध् व जलकर 55ए320ध्ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000ध् व जलकर 59ए500ध्ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144ध् व जलकर 6ए71ए025ध्ए कल्याण नगर ष वर में

संपत्तिकर 71ए000६ व जलकर 19ए000६ए दीनदयाल नगर षवर में संपत्तिकर 2ए47ए000६ व जलकर 64ए780६ए बोहरा बाखल षवर में संपत्तिकर 4ए92ए000६ व जलकर 66ए715६ए रामगढ़ षवर में संपत्तिकर 1ए60ए000६ व जलकर 34ए340६ए लक्कड़पीठा प्याऊ के पास षवर में संपत्तिकर 2ए30ए000६ व जलकर 44ए230६ए धानमण्डी षवर में संपत्तिकर 2ए07ए000६ व जलकर 33ए940६ए जूनि कोर्ट करण टॉकज षवर में संपत्तिकर 1ए84ए000६ व जलकर 56ए350६एआनन्द कालोनी षवर मे संपत्तिकर 86ए000६ व जलकर 35ए140६ए प्रताप नगर षवर में संपत्तिकर 1ए16ए000 व जलकर 57ए670६ए महावीर नगर षवर में संपत्तिकर 69ए000६ व जलकर 21ए185६ए पैलेस रोड षवर में संपत्तिकर 3ए50ए000६ व जलकर 66ए865६ए चौगानिया भेरू मंदिर के पास षवर में संपत्तिकर 1ए15ए000६ व जलकर 25ए865६ए सायर चबुतरा षवर में संपत्तिकर 2ए42ए000६ व जलकर 70ए400६ की राष जमा कराई। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित षवरों मेंें 55ए06ए144६ संपत्तिकर व 12ए60ए235६ जलकर की राष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली षवरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में षवर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त षवर बकायादारों की सुवधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित षवरों में बकायादार अपनी बकाया राष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।।

शहर में स्वच्छता बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य है

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत कचरा मुक्त स्थानों पर

रांगोली निर्माण के साथ ही जन जागरण कार्यक्रम जारी

रतलाम 16 मार्च । स्वच्छता का महत्व एक ऐसा वषय हैए जो शायद हर उम्र के लए समान महत्व रखता है। कसी के जीवन में इसका महत्व व्यक्ति वशेष के तौर पर उतना ही हैए जितना क एक छोटे से बालक के जीवन में होता है। स्वच्छता व भन्न प्रकार की हो सकती है। कभी व्यवहारिक तो कभी वैचारिक। जब बच्चा छोटा होता हैए तो हम तभी से उसे अच्छी आदतें सखाते हैं। जिनमें स्वच्छता भी शा मल होती हैए ठीक इसी प्रकार हमें बच्चों को व्यक्तिगत सफाई के साथ-साथ अपने परिवेश क सफाई भी सखाना चाहिये। उन्हे बताना चाहिये क शहर की सफाई भी हमारा कर्तव्य है। उक्त वचार एथलेटिक्स के राष्ट्रीय निर्णायक श्री अमानत खान ने व्यक्त कए।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश और मार्गदर्शन में स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत शहर के कचरा मुक्त स्थलोंए सार्वजनिक स्थानों पर रांगोली निर्माण के साथ ही स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम जारी है। मंगलवार को हाटए मोतीनगरए अमृतसागर सहित आधा दर्जन इलाकों में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर स्वच्छता को लेकर आमजन की राय जानी गई और मौके पर ही उन्हे फीडबैक पेम्पलेट देकर सकारात्मक जवाब देने का संकल्प दिलाया गया।

इस मौके पर श्री अमानत खान ने कहां क स्वच्छता हर क्षेत्र के लये महत्वपूर्ण है। चाहे आप जहां भी जाएं जैसे क स्कूलए घरए धर्मस्थलएखेल मैदान व कार्यालय आदि। स्वच्छता हर जगह के लये समान महत्व रखती है। हम जितना अपने घर को साफ रखते हैंए हमें दूसरी जगहों को भी उतना ही साफ रखना चाहियेए कभी भी सार्वजनिक स्थानों को गंदा नहीं करना चाहिये। क्यों क वे शहर की धरोहर हैंए और हमारा शहर हमारी पहचान है। इस लये स्वच्छता जरुरी है और इसका महत्व बहुत अ धक बढ़ जाता है। आशा करती हूं क मैने कुछ हद तक स्वच्छता के महत्व को समझाने में आपकी मद्द अवश्य की होगी।

स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नगर के वार्डो का जीरों वेस्ट भी बनाए जाने की कार्रवाई जारी है। इसी के साथ शहर में वर्षो से जमा अस्थायी कचरा स्थलों को समाप्त कया गया है। यहां लोग दौबारा कचरा न फेके इसके लए रांगोली का निर्माण भी कराया जा रहा है।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे है लीकेज दुरस्त

142 दिनों में 163 वॉल्व व 910 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 16 मार्च । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अ धक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ कया गया जिसके तहत 15 मार्च तक 163 वॉल्व व 910 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त कया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अ भयान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 15 मार्च मंगलवार को शक्ति नगरए टैंकर रोडए कस्तुरबा नगर सेन्ट्रल प्लाजा व वनोबा नगर में पाईप लाईन लीकेज दुरस्त कया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पं डतए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

अनुपस्थित 21 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 16 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डो की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के व भन्न वार्डो में 15 मार्च सोमवार को बिना सूचना के 21 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक

दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित कये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा
730 मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 16 मार्च । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अ भयान चलाया गया तथा 15 मार्च तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 730 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 15 मार्च सोमवार को दीनदयाल नगर व लक्कड़पीठा से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500ध् वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

खुले में गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 16 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त कया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 16 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 16 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 16 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 16 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के

सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/16ण03ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.